आइये जानें...
सतत् विकास लक्ष्यों के बारे में

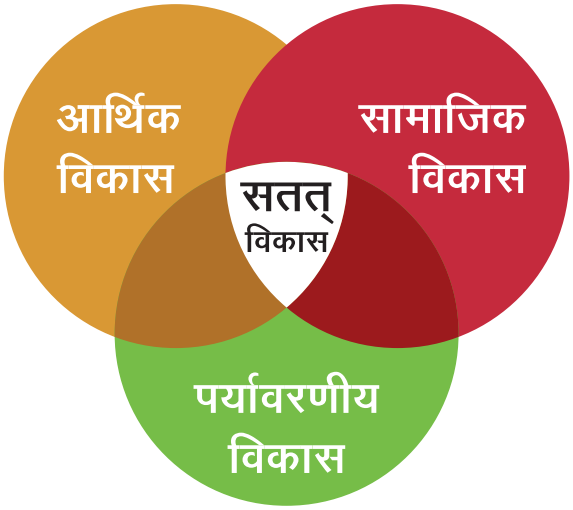

अर्थकेंद्रित विकास से बढ़ी चिंताऐं

पिछले चार–पाँच दशकों से जिस 'अर्थकेंद्रित' विकास का रास्ता अपनाया गया उससे कई स्तरों पर गंभीर नुकसान हुआ। प्रकृति का अंधाधुंध शोषण व उपभोक्तावादी जीवन शैली का लगातार विस्तार होना इस प्रकार के विकास मॉडल का हिस्सा है। इसका परिणाम यह हुआ कि आज दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर संकट से जूझ रही है। अमीर–गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। राष्ट्रों के भीतर व राष्ट्रों के मध्य दोनों स्तरों पर गैर बराबरी बढ़ी है। किसानों, मजदूरों, मछुआरों, महिलाओं की आजीविका व खाद्य सुरक्षा की चुनौती गरीब व विकासशील देशों में विकराल रूप लेती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खेती, वन, जैव विविधता व जीवन के बढ़ते खतरे ने लाखों–करोड़ों लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया है। बढ़ता पलायन भिन्न तरह की सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म दे रहा है।

सतत् विकास की पहल

उपरोक्त चिंताओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1992 में आयोजित रियो सम्मेलन (पृथ्वी सम्मेलन) में गंभीरता पूर्वक चिंतन–मनन के पश्चात् सतत् विकास की ओर बढ़ने का आह्वान किया गया, जिसमें समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय, विकास के इन तीनों आधारों में संतुलन स्थापित करने पर बल दिया गया। इस सोच को क्रियान्वित करने की दिशा में वर्ष 2012 में आयोजित रियो+20 सम्मेलन में गति मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मुक्त कार्य समूह का गठन किया गया व इस समूह को 2015 से 2030 तक लागू होने वाले सतत् विकास लक्ष्यों का स्वरूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic and Social Council - ECOSOC) द्वारा विकास लक्ष्यों पर व्यापक चर्चा हेतु विभिन्न विषयों से संबंधित मेजर ग्रुप बनाए गए। इसके अतिरिक्त सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन, निगरानी व राजीनैतिक मार्ग दर्शन हेतु उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम (High Level Political Forum - HLPF) का गठन भी किया गया। वर्ष 2015 से 2030 तक के लिए चलाई जा रही सतत् विकास की इस प्रक्रिया को पोस्ट–2015 कहा गया। 2012 के पश्चात् सतत् विकास लक्ष्यों पर चर्चा हेतु वैश्विक, क्षेत्रिय व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न बैठकें, संगोष्ठियां व सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें सतत् विकास के लक्ष्यों के निर्धारण, क्रियान्वयन, वित्तीय संसाधनों और जिम्मेदारियों पर चर्चाएं की गई।

सतत् विकास लक्ष्य

मुक्त कार्य समूह द्वारा जुलाई 2014 में 17 लक्ष्यों व 169 टारगेटों पर आधारित सतत् विकास लक्ष्यों का प्रारूप पेश किया, जिसे अंर्तसरकारी बातचीत में सहमति के पश्चात् सितम्बर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में सदस्य राष्ट्रों ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030

(17 विकास लक्ष्य)

- गरीबी के सभी रूपों की विश्व से समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
- सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
- सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
- लचीले बुनियादी ढ़ांचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा।
- देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
- सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
- स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- स्थायी सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
- सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
- सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना।

क्या है सतत् विकास के लक्ष्य

एक तरह से देखें तो सतत् विकास के लक्ष्य बहुत विस्तृत और दूरगामी परिणामों वाले लगते हैं। लक्ष्यों के निर्धारण में तक़रीबन सभी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं को छुआ है। इसमें ग़रीबी उन्मूलन, भूख को ख़त्म करना और स्थायी कृषि, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण, ऊर्जा, आर्थिक विकास और रोज़गार, सुदृढ़ अधिसंरचना, स्थायी औद्योगीकरण, असमानता, स्थायी शहरीकरण, स्थायी खपत व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, समुद्रों और समुद्री पारिस्थितिकी का उचित उपयोग, स्थल पारिस्थितिकी, वन और जैव विविधता, शांतिपूर्ण समाज और न्याय तक पहुँच इत्यादि हैं। सभी लक्ष्यों के साथ कार्यान्वयन के आवश्यक संसाधन जैसे वित्त, व्यापार, तकनीक, संस्थागत मुद्दे आदि की भी चर्चा है। 17वॉ लक्ष्य भी कार्यान्वयन के साधन की उपलब्धता पर है। साधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका ऑकड़ों की भी है। सभी लक्ष्यों के साथ टारगेट दिए गए हैं और इन लक्ष्यों और टारगेट के आधार पर मानक बनाए जायेंगे। जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति को मापा जा सकेगा। ऐसी अपेक्षा है कि इन मानकों के आधार पर सदस्य देश अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य, टारगेट, और मानक बनाएँगे और लागू करेंगें।

सतत् विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) से कैसे भिन्न है

सतत् विकास लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से इन मायनों में भिन्न है कि सतत् विकास लक्ष्य वैश्विक हैं, जबकि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य सिर्फ विकासशील व ग़रीब देशों में लागू किए गए थे। विकसित देशों की ज़िम्मेदारी सिर्फ आर्थिक संसाधन जुटाने और तकनीकी सहायता जुटाने में थी। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का परिणाम मिश्रित रहा। जहॉ कुछ देशों में गरीबी कम करने, शिक्षा का स्तर बढ़ाने खासकर बालिका शिक्षा, महिलाओं के सशक्तीकरण इत्यादि में खासी प्रगति रही। लेकिन ज्यादातर देशों में परिणाम इतने उत्साहजनक नहीं रहे। हालांकि कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इसकी उपलब्धि असमान व अपर्याप्त रही। एमडीजी के लक्ष्यों में सबसे कमज़ोर कड़ी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी रही जिसमें विकसित देश व अन्य देशों को (मांटेरी सहमति प्रतिबद्धता के अनुसार) सकल घरेलू आय का 0.7 प्रतिशत देने में असफल रहे। हालांकि कुछ देशों ने बेहतर प्रयास किए और कुछ देशों और क्षेत्रों को अधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध हुई। लेकिन 2014 तक वैश्विक स्तर पर यह सहायता सर्वाधिक 0.3 प्रतिशत तक ही पहुँची। वैश्विक भागीदारी के अभाव में इसके परिणाम व उपलब्धियां आशाजनक नहीं रही हैं।

सतत् विकास लक्ष्य एमडीजी से व्यापक हैं लेकिन एक बड़े वैश्विक समुदाय की समझ से आवश्यक रूपांतरण और बदलाव लाने में कितना सफल होंगे यह कहना मुश्किल है ।

लक्ष्यों का सकारात्मक पहलू

लक्ष्य प्रगतिशील हैं ख़ासकर एमडीजी की तुलना में। यह लक्ष्य वैश्विक हैं और दुनिया के सभी देशों में लागू किए जाएँगे। यह उल्लेखनीय है कि पहली बार ऐसी वैश्विक सहमति सतत् विकास पर बनी है और सभी देशों का योगदान अपेक्षित है। स्थायित्व आज हरेक देश की चिंता है और सब देश मिलकर ग़रीबी और भूख को खत्म करने, स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक विकास को समावेशी और पर्यावरण के अनुसार संवेदनशील बनाने का प्रयास करेंगे, यह काफी प्रोत्साहक है। इसमें महिला सशक्तीकरण व लैंगिक समानता, शहरों को समावेशी व स्थायी बनाने, औद्योगीकरण का लोगों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव करने के लिए कदम, कम खपत और उत्पादकता वाली जीवनशैली अपनाने और समुद्री व स्थल पारिस्थितिकी, वन और जैव विविधता संरक्षण के आलवा व्यापार के नियम को विकासशील और ग़रीब देशों की आवश्यकतानुसार संगत करना इत्यादि महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। लक्ष्य अमीर देशों में जीवाश्म ईंधन और कृषि निर्यात पर सब्सिडी कम करने, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों का पक्ष मज़बूत करने, अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने और प्रवासियों को अपने देश भेजने पर ख़र्च को कम करने के प्रशंसनीय लक्ष्य भी हैं। हालांकि ऐसे सराहनीय उद्देश्यों के बाद भी क्या सतत् विकास लक्ष्य दुनिया को स्थायित्व देने में सक्षम हैं? क्या यह लक्ष्य विकास को समावेशी बनाएंगे? क्या यह प्रकृति पर विकास के प्रतिकूल प्रभाव को कम करेंगे? ये कुछ बड़े सवाल हैं। कई लोगों का सवाल यह भी है कि क्या सतत् और निरंतर विकास संभव है?

विकास लक्ष्यों में क्या निराशाजनक है?

सतत् विकास लक्ष्य समकालीन मूल समस्याओं जैसे कि वैश्विक आर्थिक, वित्तीय और व्यापार की संरचनाओं में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को नज़रअंदाज करते हैं, जिसके बिना दुनिया से भूख, गरीबी, ग़ैर बराबरी दूर करना मुश्किल है। बहुत लोगों का मानना है कि इन समस्याओं की जड़ नवउदारवादको बढ़ाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था है और इन व्यवस्थाओं और संस्थाओं के आमूल परिवर्तन के बिना दुनिया में स्थायित्व लाना असंभव है। यह व्यवस्थाएं श्रम और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मुनाफ़ा कमाने वाली प्रवृति पर आधारित है। पिछले कई दशकों में इसके गंभीर परिणाम मिले हैं। ऐसी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप आज दुनिया में 85 सबसे धनी लोगों के पास आधी आबादी के बराबर धन है। इसी वजह से विकास लक्ष्यों में जहाँ विकासशील और अल्पविकसित देशों से अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही लेने को मज़बूर किया जा रहा है, विकसित देश अपनी जीवनशैली को बरक़रार रखना चाहते हैं और उनकी जवाबदेही सिर्फ अपने तक ही सीमित है। जिन व्यवस्थओां से दुनिया की यह दुर्गति हुई है, समाधान भी उसी व्यवस्था में ढूँढना कोई क्रांतिकारी कदम नहीं है, छोटी–मोटी फेरबदल या रफू से यथास्थिति को बनाए रखने से शायद स्थायित्व लाना असंभव होगा।

अगर हम लक्ष्यों को आज की आवश्यकता के अनुसार देखें तो यह बहुत कम महत्वकांक्षी हैं। ग़रीबी रेखा को सिर्फ़ आय के हिसाब से परिभाषित करना और 1.25 अमरीकी डॉलर से ऊपर आय वाले व्यक्ति को ग़रीबी से बाहर रखना, गरीबी की अपर्याप्त समझ दिखाता है और इससे ग़रीबी

उन्मूलन शायद ही संभव दिखता है। ग़रीबी के साथ ग़ैर बराबरी अभी दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है और इसके ऊपर प्रावधान (ख़ासकर देशों के बीच गैर बराबरी) कमजोर है। महिला सशक्तीकरण और लैंगिक असमानता पर कोई समयबद्ध टारगेट नहीं है जिसकी वज़ह से यह भी बहुत कमजोर लक्ष्य है। खासकर यौन और प्रजनन संबंधी अधिकार पर भी काफ़ी प्रतिरोध है। आज की सर्वाधिक चर्चित समस्या जलवायु परिवर्तन पर सतत् विकास लक्ष्य प्रक्रिया बहुत ही कमजोर साबित हुई। सारा दरोमदार फ्रेमवर्क कन्वेंशन की बातचीत और उसके निष्कर्ष पर छोड़ दिया गया है। पेरिस की बैठक में दिसंबर में एक वैश्विक समझौता हुआ जो कि अन्ततः निराशाजनक ही रहा। समझौते में तापमान 20 डिग्री तक कम करने हेतु विकसित देशों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। साथ ही वित्तीय सहायता को बढ़ाने में भी यह सम्मेलन असफल रहा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सबसे ज़रूरी यह है कि विकसित देश ऊर्जा का अपव्यय बंद करें और खपत और उत्सर्जन कम करें। लक्ष्यों में ऐसा कोई निर्देश न होना काफ़ी निराशाजनक है।

भारत सरकार से अपेक्षा

भारत में नीति आयोग सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु नोडल एजेंसी है। भारत सरकार ने अभी तक सतत् विकास से संबंधित कई पक्षों पर ख़ासकर गरीबी, ग़ैर बराबरी, खाद्य सुरक्षा, कम खपत और उत्पादन जीवनशैली, कार्यान्वयन के साधन इत्यादि पर मज़बूती से अपना पक्ष रखा है। हमारी अपेक्षा है कि सरकार इन मुद्दों पर आगे भी कोमलता नहीं दिखाएगी और विकासशील देशों का पक्ष मज़बूत करेगी। आगे की बातचीत में विकसित देशों और ख़ासकर अमरीका द्वारा इस प्रतिरोध को तोड़ने के लिए प्रलोभन की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए छोटे विकासशील देशों के साथ एकजुटता मज़बूत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने कुछ विषयों ख़ासकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर अपना प्रतिरोध दिखाया है। यह भारत की राष्ट्रीय नीतियों में भी इन विषयों पर गंभीरता की कमी का परिचायक है। इन मुद्दों पर कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को गंभीरता से सोचना होगा और लचीला रूख अपनाना होगा। भारत द्वारा विकासशील देशों के नेतृत्व का स्वागत करते हुए हमें शायद यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत की स्थिति छोटे विकासशील देशों से पृथक है और नेतृत्व तभी सम्माननीय होग जब राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मुद्दों पर भारत एक उदाहरण पेश करें।

सतत् विकास की बातचीत अभी तक राष्ट्रसंघ और न्यूयार्क के स्तर पर ही रही है। देश में ऐसी चर्चाओं की कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई है। भारत जैसे देश को इन दीर्घकालिक प्रभाव वाले विषयों पर बातचीत को बढ़ावा देकर एक राष्ट्रीय सहमति बनाने की आवश्यकता है। ऐसी बातचीत में सभी समुदायों से बातचीत एक सराहनीय प्रयास होगा। राज्यों के स्तर पर भी ऐसी बातचीत स्वागत योग्य होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय सरकारों से भी इन विषयों पर बातचीत से एकमत बनाना राजनैतिक रूप से सर्वथा अपेक्षित है। क्षेत्रीय देशों से सौहाद्रपूर्ण बातचीत और सहमति भारत की स्थिति को सशक्त करेगी। इन विषयों पर शायद ही संसद में चर्चा होती है और अपना मत बनाना और रखना कैबिनेट का विशेषाधिकार समझा जाता है, लेकिन समय–समय

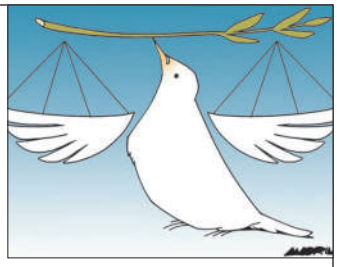

पर संसद को भारत सरकार की स्थिति समझाना और संसद की सहमति लेना भारत के संघीय ढॉचे को और मज़बूत और पारदर्शी बनाने में सहायक होगा।

चूंकि भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य राष्ट्रों की भॉति सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है, इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय संदर्भों के साथ सतत् विकास लक्ष्यों की अनुरूपता में राष्ट्रीय लक्ष्य व एजेन्डा घोषित हो व उस पर सामूहिक चर्चा–बहस हो। राष्ट्रीय स्तर पर विकास से जुड़ी योजनाओं, नीतियों व कार्यक्रमों को समग्र दृष्टिकोण के साथ सतत् विकास लक्ष्यों के नज़रिये से देखने व निश्चित समय पर उनका ऑकलन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनसंगठन, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों व मीडिया की प्रभावी व रचनात्मक भूमिका हो सकती है, यही प्रक्रिया राज्य स्तर पर सुनिश्चित होने की आवश्यकता है। तभी हम समावेशी सतत् विकास की ओर अग्रसर हो सकेंगे।

राज्य सरकारों से अपेक्षा

राज्य स्तर पर योजना विभाग सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन हेतु नोडल एजेंसी है। सतत् विकास लक्ष्यों को राज्य की प्राथमिकताएं व विकास की नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों से जोड़ने की आवश्यकता है एवं इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधि, स्वयं सेवी संगठन, जन संगठन, शिक्षा विदों, विशेषज्ञों व मीडिया की प्रभावी व रचनात्मक भूमिका हो सकती है। सतत विकास लक्ष्यों पर विभिन्न वर्गों को साथ लेते हुए जागरूकता बैठकें, कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में यह भी जरूरी है कि राज्य के बजट का सतत विकास लक्ष्यों के नजरिये से ऑकलन व मूल्यांकन हो।

जरूरी है कि–

- राज्य सरकार के स्तर पर ढॉचागत व्यवस्था सुनिश्चित हो, जिसके तहत् प्रत्येक विभाग की प्रगति सतत् विकास लक्ष्यों के दृष्टिकोण से समीक्षा हो।
- सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु कमेटी गठित हो, जिसमें सरकारी अधिकारी, विषय–विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हो।
- सतत् विकास लक्ष्यों को पंचायतों से जोड़ा जाए। इस हेतु पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत अधिकारियों का क्षमतावर्धन किया जाए।
- सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति ऑकलन व विश्लेषण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए।
- प्रतिवर्ष सतत् विकास लक्ष्यों का प्रगति प्रतिवेदन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाए।
- राज्य के बजट को सतत विकास लक्ष्यों के नजरिए से प्रस्तुत किया जाए।

स्थानीय स्तर पर विकास प्लान में सतत विकास लक्ष्यों का जुड़ाव

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन में बड़ी कमजोरी यह थी कि उनकी पहुॅच स्थानीय स्तर तक नहीं हो पाई। उसे एक सीख के रूप में लेते हुए आगामी 2015 से 2030 तक के लिए निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से पंचायतों व स्थानीय निकायों के नियोजन व विकास प्रक्रिया से जोड़ना होगा ताकि सतत विकास की प्रक्रिया के तहत सभी को साथ लेकर चलने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होगी।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका

जमीनी स्तर पर लोगों की क्षमतावर्धन व उनके अधिकारों की पैरवी से लेकर, विकास से जुड़े विभिन्न प्रकार के शोध–अनुसंधान के माध्यम से स्वयंसेवी संस्थाएं अपने कार्यों में जुटी है। लोगों के साथ सीधा जुड़ाव व सम्पर्क स्वयं सेवी संगठनों की सबसे बडी ताकत है। वे वर्ग व समुदाय जिनकी आवाज उपयुक्त मंच तक नहीं पहुँच पाती या नहीं सुनी जाती, एसे लोगों की आवाज बनने व उस आवाज को सुनने हेतु दबाव बनाने का महत्वपूर्ण औजार है सतत विकास लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्यों की परिकल्पना इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की है कि "कोई भी पीछे ना छुटे"। सभी को समेटने व साथ लेकर चलने की इस परिकल्पना को साकार रूप देने व इस हेतु वातावरण निर्माण बनाने से लेकर सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की जवाबदेही के प्रति संवेदनशील करने व स्थानीय स्तर से वैश्विक मंचों तक, सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीय असंतुलन से उपजी समस्या के कारण जिस समुदाय का सर्वाधिक नुकसान हुआ है, उसकी आवाज मुखरता से पहुँचाने में स्वयंसेवी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

परिचय

मौसम

मूवमेंट फॉर एडवांसिंग अंडरस्टेंडिंग ऑन सस्टेनेबिलिटी एण्ड म्युचुअलिटी (मौसम) ऐसे संगठनों, संस्थाओं का समूह है जो सतत कृषि, खाद्य संप्रभुता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर कार्य कर रहे हैं। संगठन की शुरूआत कॉपनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर हुए वैश्विक सम्मेलन कॉप–15 से पूर्व वर्ष 2008 में हुई तब जबकि पूरे विश्व में इस मुद्दे पर गंभीर मंथन शुरू हुआ कि जलवायु परिवर्तन के लिए प्रकृति जनित बदलाव नहीं बल्कि मनुष्य जनित गतिविधियॉ जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन से लगातार प्रभावित हो रही खेती, खाद्य संप्रभुता, आजीविका को ध्यान में रखते हुए 2009 के कॉपनहेगन सम्मेलन में बड़ी अपेक्षाओं के साथ पर्यावरणविदों, जन संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा जमावड़ा हुआ। इसी पृष्ठभूमि में समान विचारधारा से जुड़े संगठनों, संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा सामूहिक सहमति से बियोंड कॉपनहेगन संगठन का सूत्रपात हुआ। जिसे अब मौसम नाम से जाना जाता है।

सिकोईडिकोन

सिकोईडिकोन (सेन्टर फोर कम्यूनिटी इकानामिक्स एण्ड डवलपमेंट कन्सलटैंट्स सोसायटी) एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। यह संगठन समाज के निर्धन और वंचित वर्गों की क्षमता निर्माण के कार्य के प्रति समर्पित है जिससे कि वे लोग प्रभावी एवं स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों पर अपना दावा प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें। सिकोईडिकोन के प्रयासों और पहलों का दायरा राजस्थान में सहभागी समुदायों की क्षमता का निर्माण करने से लेकर राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर समर्थन जुटाने और नेटवर्किंग करने तक फैला हुआ है। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सिकोईडिकोन अपने बाह्य एवं सहयोगी संगठनों की भागीदारी से कार्य करता है। सतत विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों की पैरवी करते हुए सिकोईडिकोन राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने वाले नीति सम्बन्धी मुद्दों को आगे बढ़ाने हेतु भी प्रयासरत है।

सेन्टर फॉर कम्यूनिटी इकोनोमिक्स एण्ड डेवलपमेन्ट कन्सलटैंट्स सोसायटी (सिकोईडिकोन)

एफ–159–160, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर – 302022, टेली : +91-141-2771488,
ईमेल : sharad_jpl@sancharnet.in, cecoedecon@gmail.com, वैबसाइट : www.cecoedecon.org.in